FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

AAP-A

Crim-I

ज अदालत....................................न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा ....

............हरदयालदास वगै.............बनाम.............प्रभुदयालदास वगै.....................................

रम मुकदमा नं0.........91/2025 (13/25) दावा.....................सन्.........................2026..................

ारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7.02.2026	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में वास्ते आदेश आज की तिथि नियत है। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया। वादीगण की ओर से विचाराधीन वादपत्र वादग्रस्त आराजी के तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा के संबंध मे पेश किया गया है। प्रकरण में दिनांक 06.01.2026 को न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार दौसा से विभाजन प्रस्ताव (कुर्रेजात) तलब किये गये थे। तहसीलदार दौसा ने अपने पत्रांकः भू.अ./2026/493 दिनांक 18.02.2026 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव (कुर्रेजात) मय नक्शा न्यायालय के समक्ष पेश किये। उक्त विभाजन प्रस्ताव (कुर्रेजात) पर उभयपक्षों की बहस सुनी गई। बहस के दौरान किसी भी पक्षकार ने विभाजन प्रस्ताव (कुर्रेजात) पर आपत्ति होना नहीं जताया है तथा उभयपक्ष ने कुर्रेजात से संतुष्ट होना जाहिर किया है। ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री जारी किये जाने हेतु प्रतीत होता है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि आराजी ग्राम रूगली पटवार हल्का चावण्डहेडा भू0अभि0नि0 क्षेत्र नांगलबैरसी तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित ख0न0 114/353 रकबा 0.11 है0, ख0न0 126 रकबा 3.00 है0, ख0न0 127 रकबा 0.97 है0, ख0न0 128/352 रकबा 0.02 है0, ख0न0 126/350 रकबा 0.03 है0, ख0न0 127/349 रकबा 0.10 है0, ख0न0 128/351 रकबा 0.12 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 4.35 हैक्टेयर भूमि तथा ख0न0 114 रकबा 0.52 है0, ख0न0 117 रकबा 0.50 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.02 हैक्टेयर भूमि का तकास्मा उभयपक्षकारान के मध्य तहसीलदार दौसा के पत्रांकः भू.अ./2026/493 दिनांक 18.02.2026 के संलग्न प्राप्त विभाजन प्रस्ताव (कुर्रेजात) अनुसार किये जाने का निर्णय पारित किया जाता है तथा उभयपक्षकारान को उपरोक्त प्राप्त विभाजन प्रस्ताव (कुर्रेजात) अनुसार एक–दूसरे के क्षेत्र मे दखलदांजी न देने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का आदेश पारित कर वाद डिक्री किया जाता है। तहसीलदार दौसा के पत्रांकः भू.अ./2026/493 दिनांक 18.02.2026 के संलग्न विभाजन प्रस्ताव (कुर्रेजात) मय नक्शा इस निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय अनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व लेख भण्डार हो। सहायक कलक्टर दौसा, जिला दौसा	